प्रेस नोट ***06/06/2025***

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 04 वर्ष कठोर कारावास की सजा व ₹14,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 06-06-2025 को मु0अ0सं0 1309/2010 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त रमेश सिंह उर्फ़ काका पुत्र रामबृक्ष निवासी कैथोली थाना सरायलखसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 04 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹14,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली नगर का सराहनीय योगदान रहा।

चाकू से पीड़ित की जान से मारने की नियत से वार करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान करहाँ – जहानागंज मार्ग पर स्थित कमालपुर पोखरा के पास से मु0अ0सं0 237/2025 धारा 109,131 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त सुमित गोंड पुत्र नगीना गोंड निवासी तिलसवां थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है किं ग्राम तिलसवां में दिनांक-04.06.2025 को पंचायत के बाद घर जाते समय पक्षकार गोलू उर्फ आकाश गोंड को चाकू से जान से मारने की नियत से हमला किया। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. सुमित गोंड पुत्र नगीना गोंड निवासी तिलसवां थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह थाना मु0बाद गोहना मऊ
2. का0 ओम प्रकाश यादव थाना मु0बाद गोहना मऊ
3. का0 मनीष प्रजापति थाना मु0बाद गोहना मऊ।